



10-3-22 फ़ावली पेश हुयी कमील प्रथी उपस्थित।
तलबी जारी होकर फ़ावली दि० 5-5-22
को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपसाल (अजमेर)



21-3-22 पार्थी/वकील पार्थी की ओर से पत्रावली
को आज ही तलब करवाकर प्रकरण को
नोटबुक्स में खारिज करवाने का वक्तु पार्थी-
पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी
चूंकि मूल वाद को नोटबुक्स के आधार
पर खारिज किया जा चुका है, इस कारण
उक्त प्रकरण साखीन होने से खारिज
किया जाता है

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
रूपनाग (अजमेर)

श्री लीला राय